विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.i

पत्रांक: BRLPS/LSBA/ADMN/45/18/286 दिनांक: 10.07.2018

कार्यालय आदेश

जिला पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के पत्रांक 142 दिनांक 16 मई 2018 द्वारा श्रीमति माधुरी कुमारी, प्रखण्ड समन्वयक, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण को सेवामुक्त करने की अनुशंसा की गयी थी।

उपरोक्त अनुशंसा के उपरान्त राज्य स्तर से निर्गत पत्र संख्या 185 दिनांक 6 जून 2018 द्वारा श्रीमति माधुरी कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई। मांगी गयी स्पष्टीकरण का प्रत्युत्तर श्रीमति माधुरी कुमारी, प्रखण्ड समन्वयक, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण द्वारा दिनांक 22 जून 2018 को समर्पित किया गया।

प्रत्युत्तर के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्राप्त प्रत्युत्तर असंतोषजनक एवं असंगत है जिससे श्रीमति माधुरी कुमारी के लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही को परिलक्षित होता है।

अत: सम्यक विचारोपरान्त श्रीमति माधुरी कुमारी, प्रखण्ड समन्वयक, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण को जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण के अनुशंसा के आलोक में तत्काल प्रभाव से अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है।

आदेशानुसार

10/7/18

(राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०)
प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक

ज्ञापांक: BRLPS/LSBA/ADMN/45/18/286 दिनांक: 10.07.2018

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रखंड समन्यवक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित जिला समन्यवक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला अधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण को सूचनार्थ प्रेषित।

10/7/18